मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग

ऊर्जा भवन,शिवाजी नगर, भोपाल–462016

भोपाल, दिनांक 3 अक्टूबर, 2006

क्रमांक 2461 म.प्र.विनिआ – 2006 – विद्युत अधिनियम 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 39 (2) (डी), 40 (सी), 42 (2, 3), 86 (1) (सी) सहपठित धारा 181 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा अधिसूचना क्रमांक 1431/मप्रविनिआ/2005 दिनांक 16 जून, 2005 द्वारा अधिसूचित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मध्यप्रदेश राज्य में खुली पहुंच प्रणाली की निबंधन एवं शर्तें), विनियम, 2005 को निम्नानुसार संशोधित करता है ।

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मध्यप्रदेश राज्य में खुली पहुंच प्रणाली की निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2005 में द्वितीय संशोधन

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ

(i) ये विनियम ''**मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मध्यप्रदेश राज्य में खुली पहुंच प्रणाली की निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2005 (द्वितीय संशोधन) (एजी 24 (ii), वर्ष 2006)**'' कहलायेंगे ।

(ii) ये विनियम मध्यप्रदेश सरकार के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से प्रभावशील होंगे ।

(iii) इन विनियमों का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य होगा ।

2. अनुच्छेद 3 में संशोधन

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मध्यप्रदेश राज्य में खुली पहुंच प्रणाली की निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2005 जिसके इसके बाद प्रधान विनियम कहा जावेगा, **अनुच्छेद 3.3 के उप अनुच्छेद (i)** को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात् :

''(i) गैर पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत :

गैर पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत के उत्पादकों तथा उपयोगकर्ताओं को खुली पहुंच तत्काल प्रभाव से उपलब्ध करा दी जावेगी तथा वे राज्य शासन की वर्तमान नीतियों से शासित होंगे । गैर पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत के उत्पादकों को पारेषण तथा उप–पारेषण प्रणाली में पहुंच, उसी रीति से प्रदान की जावेगी, जैसी कि तत्कालीन एकीकृत मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल द्वारा इस संबंध में राज्य शासन की नीति के आधार पर उन्हें वैसी ही निबंधन तथा शर्तों के अनुसार प्रदान की जाती थीं ।''

प्रधान संहिता के **अनुच्छेद 8.14** को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात् :

''8.14 राज्य पारेषण इकाई, आवेदक से अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर, उपरोक्त विनियम 8.12 के अनुसार अन्य संबंधित एजेन्सियों से विचार विमर्श द्वारा जिनमें अन्य पारेषण तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी भी सम्मिलित हैं, अविलंब अध्ययन आरंभ कर देगी तथा आवेदन प्राप्ति की तिथि से 45 दिवस के अन्दर आवेदक को अध्ययनों के परिणामों से अवगत करायेगी । राज्य पारेषण इकाई द्वारा प्रणाली मानचित्र पर प्रदर्शित एवं सारणीबद्ध भी (प्लाट किये गये) किये गये संग्रहित आंकड़ों व इससे प्राप्त परिणामों को, इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप में तथा छायाप्रतियों (हार्ड कापियों) में सुरक्षित रखा जायेगा। आवेदक ऐसे अध्ययन से प्राप्त परिणाम के आधार पर उचित कार्यवाही हेतु राज्य पारेषण इकाई को अनुरोध कर सकता है ।

बशर्ते कि उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किये गये 45 दिवस की समयावधि में जवाब प्रस्तुत करने की विफलता की दशा में, उसे समस्त सुसंगत तथ्यों तथा देरी के कारणों से आयोग को अवगत करना होगा ।

बशर्ते कि नोडल एजेंसी द्वारा यथा निरूपित परिस्थितियों के विश्लेषण के पश्चात आयोग ऐसे भावी खुली पहुंच क्रेता के आवेदन पर अपना निर्णय देगा ।

आयोग के आदेशानुसार,

एल.पी. शर्मा,, प्रभारी उप सचिव